संख्या-2233 / 69-1-98-26(बजट) / 98

प्रेषक,

श्री मुनीन्द्र कुमार सिंह,
अनुसचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य नागर विकास अभिकरण,
उ.प्र. लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक : 12 नवम्बर, 1998

नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन
अनुभाग,

विषय : **राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी) के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश के अनुदान की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय "राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम" के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्राप्त केन्द्रांश का अवशेष रू.668-00 लाख एवं चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में प्राप्त रू.2338-00 लाख के सापेक्ष पूर्व में निर्गत की गयी धनराशि रू.1537.65 को घटाते हुए शेष अनुदान के रूप में रू.14,68,35,000/- (रूपये चौदह करोड़ अड़सठ लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नानुसार अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

	सामान्य मद	एस.सी.पी.	योग
राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम	822.50	645.85	1468.35
योग–	**822.50**	**645.85**	**1468.35**

2. योजनान्तर्गत उक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(1) यह कि उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।

(2) उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से 30 नवम्बर, 98 तक अलग कर लिया जाय। उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के प्रति हस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा और यथा स्थिति मार्ग निर्देशानुसार संबंधित जिला नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से स्थानीय निकायों को आबंटित की जायेगी।

(4) प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार लेखा उ.प्र., इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ लेखाकार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक माह के भीतर भेज दी जाय।

(5) इस धनराशि का उपयोग शासनादेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अवश्य कर लिया जाये और उसके साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित/दुरूपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, एक मुश्त शासन को वापस करनी होगी।

(6) सचिव, सूडा, उ.प्र. लखनऊ आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करा लेंगे।

3. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित लेखा शीर्षक के नाम डाला जायेगा :-

2217-शहरी विकास-80, सामान्य 191-स्थानीय निकायों, निगमों, नगर विकास प्राधिकरणों नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता-01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें– 0111-राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम की योजना		
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता– 0112- अनुसूचति जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम हेतु राज्य नागर विकास अभिकरण को अनुदान	रू.	8,22,50,000
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता.	रू.	6,45,85,000
योग–	**रू.**	**14,68,35,000**

(रूपये चौदह करोड़ अड़सठ लाख पैंतीस हजार मात्र)

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या वी-1 3312/दस-238/98, दिनांक 27 जुलाई, 1998 में निहित प्राविधानों के अन्तर्ग

निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)
अनुसचिव

संख्या-2233(1)/69-1-98-26(बजट)/98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।

(2) निदेशक (ई.एण्ड पी.ए.), भारत सरकार, नई दिल्ली।

(3) निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू पार्क, इलाहाबाद।

(4) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता), अनुभाग।

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, नियोजन अनुभाग-1/2,4

(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र.।

(8) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)
अनुसचिव